राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1239/2024

रिंकू कुमार मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.03.2024
आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधन अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर बाई मुख्य नहर सीएडी उपखंड कापरेन, बूंदी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण चम्बल परियोजना सीएडी उपखंड केपाटन, जिला बूंदी से पंचायत समिति आसीन्द, भीलवाडा किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति आसीन्द, भीलवाडा किया गया है,

जिसमें जिला संस्थापन समिति की सहमति/अनुमोदन का उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश बिना जिला संस्थापन समिति/पंचायती राज विभाग की सहमति/अनुमोदन के जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम, 2011 के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश जारी किया गया है। चूंकि अपीलार्थी जल संसाधन विभाग का कार्मिक है और उसका स्थानान्तरण पंचायत समिति आसीन्द में किया गया है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया जाना आदेश प्रकट होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 250 कि.मी. दूर किया गया है। जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है और वर्तमान में पद रिक्त है। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो अपीलार्थी का पदस्थापन नजदीकी स्थान पर कर सकता है, परंतु विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ अभियंता के पद पर बाई मुख्य नहर सीएडी उपखंड कापरेन, बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य